पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

नवा टापरा

ग्राम पंचायत - लोलकपुर

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - गाँव लगभग 20-22 साल पहले रोत उपजाति के आदिवासियों और यादव लोगों ने मिलकर बसाया था। उससे पहले यहाँ के आदिवासी जंगलों में, लोलकपुर और हीराता गाँव में रहते थे। यहाँ तुलनात्मक नए टापरे(कच्चे घर) बने थे। इसलिए यह गाँव नवा टापरा के नाम से जाना जाने लगा। पहले यह सिर्फ एक फला था। नवा टापरा गाँव में प्रकृति प्रेमी आदिवासियों में मात्र रोत उपजाति के लोगों के साथ, ढोली, यादव और कलाल समाज के लोगों का निवास है। गांव में दो मंदिर और एक धुणी है।

गाँव का एक परिचय - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 18 किलोमीटर दूर गाँव बसा है। नवा टापरा की ग्राम पंचायत लोलकपुर है। लोलकपुर पंचायत में चार गाँव है। जिनमें नवा टापरा एक छोटा-सा गाँव है इस गाँव में एक ही फला हैं। नवा टापरा गाँव के बीच में से एक नहर(वेला) निकलती है। अनुसूचित जनजाति में रोत(अधिकांश) और परमार(मात्र दो घर) उपजातियों के लोग रहते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में कलाल समाज(मात्र दो घर), यादव और ढोली(5 घर) समाज के लोग रहते है। सामान्य वर्ग से कोई निवास नहीं करता है। गाँव का कुल रकबा 459.260 बीघा है जिसमें कृषि भूमि 287.222 बीघा, चरागाह 14.18 बीघा है। गाँव के अधिकांश घरों में बिजली है कुछ घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। गाँव में एक सरकारी राशन की दुकान है। राशन में मात्र गेहूं मिलता है। पहले चावल, चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। अब सब बंद कर दिया गया है। गाँव में गाँव सभा का गठन 17 जनवरी 2017 को और शिलालेख 17 जनवरी 2018 में हुई थी। गाँव के लोगों की पेसा कानून के बारे में कुछ-कुछ समझ बन पाई है। नवा टापरा गाँव का पोस्ट ऑफिस सेलज गाँव में और पुलिस थाना वरडा में है।

आवागमन की स्थिति - नवा टापरा गाँव जाने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय से बस मिलती है जो हीराता गाँव के बस स्टेंड तक छोडती है। हीराता बस स्टेंड से तीन किलोमीटर पैदल चलने के बाद नवा टापरा पहुँच सकते हैं। हीराता से नवा टापरा गाँव में जाने के लिए रोड़ तो बना हुआ है लेकिन कोई साधन नहीं चलता है। वहां से लोग तीन से पांच किलोमीटर पैदल चलकर अपने-अपने घरों को जाते हैं। नवा टापरा गाँव के लिए डूंगरपुर से जीप भी मिलती है जो लोलकपुर छोड़ती है, लेकिन वह पूरी भराने के बाद ही चलती है। लोलकपुर से एक-डेढ़ किलोमीटर पैदल चलने के बाद नवा टापरा पहुँच सकते **हैं।** गाँव में एक पक्की सड़क है जो लोलकपुर स्कुल से हीराता बस स्टेंड जाती है। जो अब कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में एक और पक्की सड़क है जो लोलकपुर से आंतरी जाती है। वो भी कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में कोई आर.सी.सी. रोड़ नहीं है। गाँव में कुछ कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने जाने के लिए पगडण्डी है। एक व्यक्ति ने अपने निजी वाहन हेतु एक छोटी सड़क निजी धन राशि से बनवाई है। वहां कोई भी आ-जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आंतरी में है जो गाँव से दस किलोमीटर दूरी पर है। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है। मरीजों को घर से 108 एम्बुलेंस पर फोन करके अथवा निजी साधन द्वारा अस्पताल ले जाना पड़ता है और घर से सड़क तक मरीजों को चारपाई या झोली में लिटा कर पहुंचाना पड़ता है। गाँव में पशु चिकित्सालय भी नहीं है वह भी 8 किलोमीटर दूर आंतरी में है। गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय हैं जो कक्षा पहली से पांचवीं तक है। प्राथमिक विद्यालय में लगभग सौ बच्चे और विद्यालय में दो अध्यापक हैं। 6टी से 12वीं तक पढ़ने के लिए बच्चों को हीराता(3-5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता होने के कारण साइकिल से आना-जाना संभव नहीं हो पाता है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चों को डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याएं -

आवागमन की कमी - नवा टापरा गाँव में आवागमन की समस्या है क्योंकि कहीं आने जाने के लिए बस हीराता से मिलती है। गाँव से तीन से पांच किलोमीटर पैदल चलने के बाद हीराता पहुँच सकते हैं। गाँव से हीराता जाने के लिए रोड़ तो बना हुआ है लेकिन कोई साधन नहीं चलता है। नवा टापरा गाँव से लोलकपुर होते हुए डूंगरपुर जाने के लिए एक-डेढ़ किलोमीटर पैदल चलने पर जीप भी मिलती है, लेकिन वह पूरी भरने के बाद ही चलती है इसलिए कई बार मजबूरी में घंटों इन्तजार करना पड़ता है जो गाँववालों की आदत बन चुकी है। गाँव में एक पक्की सड़क है जो लोलकपुर स्कूल से हीराता बस स्टेंड जाती है। जो अब कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में एक और पक्की सड़क है जो लोलकपुर से आंतरी जाती है। वो भी कहीं-कहीं टूट-फूट गई है। गाँव में कोई आर.सी.सी. रोड़ नहीं है। गाँव में कुछ कच्चे रास्ते है और ज्यादातर लोगों के घरों तक आने-जाने के लिए पगडण्डी है। वाहनों को उबड़-खाबड़ जमीन होने से और रोड़ नहीं होने से गाँव के अंदर तक आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में रास्ते के अभाव से सबसे ज्यादा परेशानी बीमार, बूढ़े और बच्चों को होती है। बीमार लोगों को अपने घरों से गाँव की सड़क तक लाने के लिए चारपाई अथवा झोली में लिटा कर लाना पड़ता है और बच्चों को 2-5 कि.मी.पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल कर विद्यालय जाना पड़ता हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में समतल जमीन बहुत कम है। पहाड़ियों की घाटी में कुछ ही समतल जमीन है। वह भी कुछ लोगों के पास है बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलानें, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली जमीन है। गाँव के सारे पहाड़ खाली पड़े है कहीं-कहीं बबूल और सागवान के पेड़ हैं। जिससे उनके अंदर हमेशा यह भय बना रहता है कि कभी भी सरकार उनकी जमीन छीन सकती है। गाँव के किसानों में वृक्षारोपण के प्रति भी भय व्याप्त हैं। वह समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जंगल पर वन विभाग का कब्जा करा दिया है। उसी तरह अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारी जमीन को भी वन

विभाग कब्जे में कर लेगा जिसके चलते वृक्षारोपण के प्रति उनकी उदासीनता है। गाँव में गर्मियों में पानी का संकट बढ़ जाता है। पीने के पानी को दूर-दूर से चल कर लाना पड़ता है। गाँव में से एक नदी निकलती है जिसमें बरसात में पानी भरा रहता है । उसके बाद नदी सूख जाती है । गाँव से आगे जाने पर नदी पर एक बांध बना हुआ है। जो मार्गीया महुड़ा गाँव में है। बाँध का पानी गाँव में गुजरती नदी में दिसम्बर तक कुछ रूकता है। दिसम्बर बाद नदी गाँव में पूरी तरह सूख जाती है। गाँव के नाले पर एक एनीकट बना है लेकिन उसमे भी बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव के पास में एक बड़ा तालाब है। नाले और तालाब में बरसात का पानी रोक कर पूरे वर्ष उसे जीवंत बनाए रखने की गाँव के पास कोई भी योजना नहीं है। गाँव का भूजल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। गर्मियों में बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है। मार्च के बाद अधिकतर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। पानी के संकट को दूर करने की योजना या कार्य नीति अभी तक नहीं है।

कृषि एवं रोजगार की स्थिति - गाँव में कृषि के लायक भूमि या तो बहुत कम है या किसी के पास है भी तो वह पहाड़ों की घाटी में है। बाकी लोगों के पास पहाड़ों की ढलान वाली, उबड़-खाबड़ पथरीली खेती है। जिन लोगों के पास निजी ट्यूबवेल है वह लोग अपनी समतल जमीन में धान और गेहूं पैदा करते हैं। बाकी लोग केवल बरसात में होने वाली फसल पर ही निर्भर करते हैं। सूखे की स्थिति में उनकी खेती से कोई उपज नहीं मिल पाती है। धान, गेहूं, मक्का,सोयाबीन और उड़द उनकी मुख्य फसल है। जिनके पास समतल जमीन है और वह भी गेहूं और चना पैदा कर पाते हैं तो उनको 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज हो जाता है। बाकी लोग 2 से 4 महीने ही खाने भर का अनाज पैदा कर पाते हैं। वह भी प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। अपनी स्वयं की खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। खेती भी इतनी नहीं है कि वह पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। मनरेगा में मजदूरी की दशा खेती से भी बदतर है। पूरे वर्ष में साठ से सत्तर दिन काम और सत्तर से नब्बे रु. रोज की मजदूरी मिलती है। नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनको ना तो सौ दिन पूरे काम मिलता है और ना ही पूरी मजदूरी मिल पाती है। यह मनरेगा भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार का साधन नहीं बन सका है। बदहाली और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर वहां उनको कोई काम मिलता है तो ठीक नहीं तो बिना काम वह वापस घर चले आते हैं और फिर दूसरे दिन उसी मजदूर मंडी में पहुंच जाते हैं। जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रु. की दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पशुपालन में लोग गाय भैंस बैल बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण उनसे भी दूध मात्र बच्चों के पीने भर का ही होता है। चारे का अभाव होने के कारण उन्हें वर्ष में पांच महीने का चारा बाजार से खरीदना पड़ता है। गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन,

आवास, राशन, श्रमिक कार्ड, मनरेगा में सौ दिन काम, पूरी मजदूरी एवं समय से मजदूरी का भुगतान नहीं मिल पाता है। कुछ तो उनकी अज्ञानता के कारण और बाकी सरकारी विभागों तथा गाँव के जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। सबसे दुखद तो विकलांगों को तक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है वह पेंशन हो अथवा आवास। सरकारी दुकान पर प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। बड़ी परेशानी गाँव वालों को मिट्टी का तेल नहीं मिलने से होती है। जिन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं है, उनको रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। रात में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई है। उन लोगों के लिए यह स्थिति नहीं है जो बाजार से 70 रु. प्रति लीटर मिट्टी का तेल खरीद सकें। पेंशन पाने की उम्र हो जाने पर भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। न तो उनका कोई आवेदन करने वाला है न ही कोई उम्र संशोधन करवाने वाला। मनरेगा में सामान्यतया वार्ड पंच होते हैं वह लोगों का आवेदन तो करवाते हैं लेकिन आवेदन की रसीद नहीं देते हैं जिसके कारण उनको 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है। मस्टर-रोल में फर्जी नाम डाल देने से उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है। 100 दिन काम नहीं मिलने से श्रमिक कार्ड से भी लोग वंचित हो जाते हैं।

गाँव में उपलब्ध संसाधनों की हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला - 1 कुआं - 4 बोरवेल - 5 हैंड पंप - 3	गाँव के बीच में एक नाला निकलता है। उस पर एक एनिकट बनाया हुआ है । जिसमें बरसात में पानी भरा रहता है। बरसात के बाद में वह पानी सूख जाता है । गाँव से एक नदी भी निकलती है जिसमें बरसात में ही पानी रुकता है । बरसात के बाद में नदी बिलकुल सूख जाती है । गाँव से आगे जाने पर मार्गीय महुड़ा में नदी पर बांध बना हुआ है । बांध के कारण दिसम्बर माह तक गाँव में कुछ दूरी तक नदी में पानी रहता है । वह भी दिसम्बर के बाद खत्म हो जाता है । गाँव में लगभग चार कुए है जिनमें गर्मी में पानी सूख जाता है। गाँव के करीब पांच लोगों ने अपने	गाँव में नाले पर बने एनीकट की मरम्मत करके और योजनाबद्ध तरीके से नए एनिकट बनाकर नदी और नाले के पानी को पूरे वर्ष तक रोका जा सकता है। गाँव के चारों तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तालाब भी पूरे वर्ष तक पानी रोका जा सकता है। नाले और तालाब में पूरे वर्ष पानी रुकने से गाँव के अधिकतर लोगों के सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जा सकती है और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सकता है। भूजल स्तर ऊंचा होने से कुओं में भी वर्ष भर पानी रहने से पीने के पानी और सिंचाई की संभावना बढ़ जाएगी। पुराने कुओं की मरम्मत करके अशुद्ध पीने के पानी से मुक्ति भी पाई जा सकती

	निजी बोरवेल करवा रखे है जिनमें भी गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है। गाँव में तीन हैण्ड पम्प है।	है। हैंडपंप की मरम्मत करके लोगों को गर्मियों में पानी के संकट से छुटकारा दिलाया जा सकता है और ट्यूबवेल से पानी निकालने पर गाँव सभा को निर्णय करना होगा। पानी के संकट से छुटकारा पाने के लिए गाँव सभा से पंचवर्षीय योजना तैयार करवाकर इस पर तुरंत अमल करने की जरूरत है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव की थोड़ी ही जमीन समतल है बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही उपजाऊ है। बेनामी जमीन पर भी लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव में जितनी जमीन है उसके आधी जमीन पर खेती होती है और विला नाम भूमि तथा आधे चरागाह पर भी खेती की जाती है। गाँव की ज्यादातर जमीन पहाड़ और पथरीली तथा उबड़-खाबड़ होने से खेती में उत्पादन बहुत कम होता है खेती, वृक्षारोपण, मछलीपालन की बेहतर योजना और प्रबंधन से गाँव के लोगों की आय बढाई जा सकती है। जो जमीन सिंचित है उस पर खेती करने तथा संपूर्ण असिंचित जमीन पर बागवानी करने से गाँव के लोगों की आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। चारागाह की भूमि का बेहतर प्रबंधन करने और उन्नत नस्ल के दुधारू जानवर पालने की बेहतर योजना से लोग दूध के व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं। जंगल को पुनर्जीवित करके उससे लघु वन उपज भी ले सकते हैं। जिससे गाँव के लोगों की आय का स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। गाँव तक नदी, नाले और तालाब में पानी रोकने की व्यवस्था करके सिंचाई की भी व्यवस्था की जा

		सकती है। यह सब करने के लिए गाँव के लोगों को जागरूकता और सामूहिक भावना की बेहद जरूरत है। अगर योजनाबद्ध तरीके से खेती/बागवानी/पशुपालन/मछली पालन/छोटे व्यवसाय के लिए लोग सोचना और समझना शुरू करें तो गाँव से नौजवानों के पलायन को रोका जा सकता है और गाँव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। भले ही वह सीमित ही क्यों ना हो।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में लोग खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बैल तथा बकरी भी पालते हैं। पशुओं के लिए चारा गाँव के लोगों के पास मार्च तक खत्म हो जाता है। मार्च के बाद लोगों को चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है। बरसात होने पर जब घास उगती है तब जाकर उनको चारा खरीदने से राहत मिलती है। चारे के अभाव में उनके पशु गर्मियों में बहुत कमजोर हो जाते हैं। पौष्टिक चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है। चारे की कमी के साथ-साथ अच्छी नस्ल भी नहीं होना दूध कम देने का कारण है। गाँव के आधे चरागाह पर लोगों का कब्जा है और बचे हुए चरागाह की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। उसमें चारा प्रकृति के भरोसे ही पैदा होता है। गाँव में जंगल की जमीन में कटीले बबूल और झाड़ियां होने से चारा कम ही मिल पाता है। गर्मियों के दिनों में पहाड़ियों पर घास होती ही नहीं है। पशुओं के चारे और अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था गाँव की पहाड़ियों और बेकार पड़ी जमीन से और सरकारी विभागों के सहयोग से की जा सकती है। इसके लिए गाँव के लोगों को सामूहिक रूप से बैठकर अपनी सहमति से कृषि और पशुपालन विभाग की मदद से चारे और देसी की जगह अच्छी नस्ल के पशुओं की समस्या का समाधान किया जा सकता है और पशुपालन से लोगों के आय के साधन बढ़ाए जा सकते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - गाँव में खेती और मनरेगा में मजदूरी करने के अलावा लोगों को गाँव में अन्य कोई भी काम नहीं मिलता है। एक तो कृषि-जमीन की कमी दूसरे पूरे वर्ष भर एक ही फसल होने से उनको 2 से 6 महीने खाने भर का ही अनाज पैदा होता है। सरकारी राशन की दुकान से प्रति व्यक्ति प्रति महीने मात्र 5 किलो गेहूं के आलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यह सब उनके परिवार के साल भर के भरण-पौषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। भोजन के अलावा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग निकट के बाजारों या डूंगरपुर की मजदूर मंडी में काम की तलाश में जाते हैं। काम अगर मिल

गया तो ठीक नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। महीने भर में उन लोगों को यहां 15 से 20 दिन ही काम मिल पाता है। मनरेगा में मजदूरी भी 60-70 दिन ही मिलती है और मजदूरी भी सौ रुपए से कम ही मिलती है। इसलिए गाँव के ज्यादातर युवा दूसरे प्रांतों खासकर गुजरात और मुंबई में मजदूरी की तलाश में चले जाते हैं। वहां भी उनको मुश्किल से ढाई सौ से तीन सौ रु. तक की दैनिक मजदूरी पर काम करना पड़ता है। किसी तरह से लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे और सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है बाकी लोग अशिक्षा और गरीबी के कारण बदहाली में अपना जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं -

क्र.सं.	**समस्याएं**	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	**कारण**	**समाधान**	**तात्कालिक/ दीर्घकालिक**	**वरीयता**
1	रास्ते की समस्या	**सार्वजनिक**	रास्ते के संकट का कारण सरकार की उपेक्षा एवं पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार एवं पक्षपातपूर्ण रवैया है। जो सड़क बनाई जाती है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से वह दो तीन वर्षों में ही टूट जाती है। कच्चे रास्ते एक बार बना देने के बाद उसकी मरम्मत भी नहीं की जाती है। गाँव के लोगों का रास्ते के लिए जमीन न देना भी रास्ते निर्माण में एक बड़ी बाधा है ।	रास्ते के संकट से निपटने के लिए गाँव सभा द्वारा जहां रास्ते नहीं है वहां के लिए प्रस्ताव लिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक में गाँव सभा के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करके पंचायत स्तरीय एक्शन प्लान में रास्ते के सभी प्रस्ताव शामिल करने की गाँव सभा ने योजना बनाई है और सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो गाँव सभा में होने वाले किसी भी कार्य की निगरानी करेगी तथा रास्ते के बीच में जिन लोगों की जमीन आ रही है उन लोगों से भी सहमति बनाने का प्रयास गाँव सभा द्वारा	**तात्कालिक**	

				किया जा रहा है।		
2	शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं होना	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों का शैक्षणिक स्तर बहुत ही खराब है। उन्हें पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक हैं और न ही छात्रों के बैठने हेतु कमरे। जो कमरे हैं उनमें से भी चार कमरों की छत से बरसात में पानी टपकता है।	गाँव सभा गठन के बाद गाँव सभा की बैठक करके विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और विद्यालय भवन की मरम्मत तथा पानी की व्यवस्था ठीक करने और आंगनवाड़ी भवन निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के प्रस्ताव लिए गए हैं। गाँव सभा में यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यालय और आंगनवाड़ी की समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा द्वारा शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। यह समस्या ब्लॉक के हर गाँव में है इसलिए ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों को एक साथ बैठकर इस समस्या से निपटने की योजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है।	**तात्कालिक**	
3	कृषि समस्या	**सार्वजनिक**	गाँव की कृषि व्यवस्था लगभग प्रकृति पर निर्भर है। उबड़ खाबड़ पथरीली और पहाड़ियों की ढलान वाली जमीन	खेत का समतलीकरण। बरसात के पानी को रोकने के लिए नदी नालों पर एनीकट निर्माण और पुराने एनिकट की मरम्मत के	**तात्कालिक**	

			पर जो खेती होती है उसमें उत्पादन भी बहुत ही कम होता है। संकट तब और बढ़ जाता है जब उन्नतशील बीज और खाद भी नहीं मिलती है। गाँव की बहुत सारी जमीन भी बेकार पड़ी हुई है। गाँव से निकलनेवाली नदी में पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से नदी का सारा पानी निकल जाता है । जिसके लिए गाँव के लोगों के पास कोई योजना नहीं है।	अलावा तालाबों का गहरीकरण और मरम्मत खेत तलावड़ी, मेड़बंदी कच्चे डैम निर्माण करके गाँव में सिंचाई के संकट का समाधान किया जा सकता है जिससे पूरे गाँव में कृषि का उत्पादन बढाया जा सकता है, वृक्षारोपण, मछलीपालन करके गाँव के सभी लोगों की आय को बढाया जा सकता है । खेती के साथ-साथ बागवानी पर भी ध्यान देकर और उन्नतशील बीज तथा खाद की उपलब्धता के साथ कृषि जमीन की उर्वराशक्ति को बढ़ाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है।		
4	काबीज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	गाँव के लोग सैकड़ों साल से गाँव में बसे हुए हैं जिस भूमि पर वह काबीज है। वह उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं है। जमीन का हक नहीं मिलना आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। जमीन सुधार की योजना	गाँव के लोगों ने काबीज भूमि पर पट्टे का दावा तो पहले से कर रखा है, लेकिन उसकी पैरवी के प्रति लोगों में उदासीनता के चलते पट्टे नहीं मिल रहे हैं। गाँव सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के लोग जितनी भूमि पर काबिज है	**दीर्घकालिक**	

			सरकार के पास नहीं है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण किसानों को अपनी काबिज भूमि पर अधिकार पत्र देना राजस्व विभाग ने बंद कर दिया है। किसानों में एक प्रकार से भय पैदा हो गया है इसलिए भी खेती की बेहतर योजना बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त है कि सरकार कब उनकी जमीन छीन लेगी! ऐसी आशंका उनको हमेशा सताती रहती है।	उसके दावे की फाइल तैयार करके गाँव सभा द्वारा दावा कराया जाएगा और जिनके पट्टे मिल गए हैं उनके नियमन के दावे की भी जिम्मेदारी गाँव सभा द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए गाँव सभा ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है।		
5	आवास/शौचालय निर्माण और उसके भुगतान संबंधी समस्या	**व्यक्तिगत**	आवास निर्माण में पंचायत द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण जरूरतमंद लोगों को आवास नहीं मिल पाता है । जिनका आवास निर्माण होता भी है तो उनको घूस के रूप में दस हजार रु. का भुगतान पहले करना पड़ता है । शौचालय के लिए पहले गाँव के लोगों को शौचालय बनाना	गाँव सभा ने इस समस्या के समाधान के लिए बैठक में जरूरतमंद लोगों के आवास निर्माण और बकाया भुगतान के लिए आवेदन करने की कमेटी बनाकर उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई है।	**तात्कालिक**	

			पड़ता है। फिर भुगतान किया जाता है। उसके लिए भी लोगों को सेवा शुल्क(घूस) देना होता है। सेवा शुल्क देने के बाद भी गाँव के कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है।			
6	पेयजल की समस्या	**व्यक्तिगत**	गाँव में गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ता है। भू-जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है। जिससे उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। गाँव में बरसात के पानी को रोकने की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं होने से संकट लगातार बढ़ रहा है।	समाधान बरसात के पानी को पूरे वर्ष नदी नाले और तालाब में रोकने की योजना बनाना बरसात के पानी को फिल्टर करके पीना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला एनीकट कुआं बोरवेल हैंड पंप नदी	गाँव से निकलने वाली नाले पर एक एनीकट बना हुआ है। उस एनीकट में से भी पानी रिसकर निकल जाता है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। नदी पर कोई बांध नहीं होना । कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव के तालाबों की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। नदी पर बांध बनाने की योजना। गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। साथ ही साथ जल संरक्षण की चल रही योजनाओं की जानकारी का अभाव।
आजीविका के साधन	गाँव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा जंगल को फिर से	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और

	जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का आभाव।	पुनर्जीवित करके आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। नदी पर बांध बनाकर, मछली पालन करके गांव के लोगों की आजीविका के साधनों को बढ़ाया जा सकता है।	पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी। नदी पर बांध बनाना।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना। जंगल को फिर से हराभरा करना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

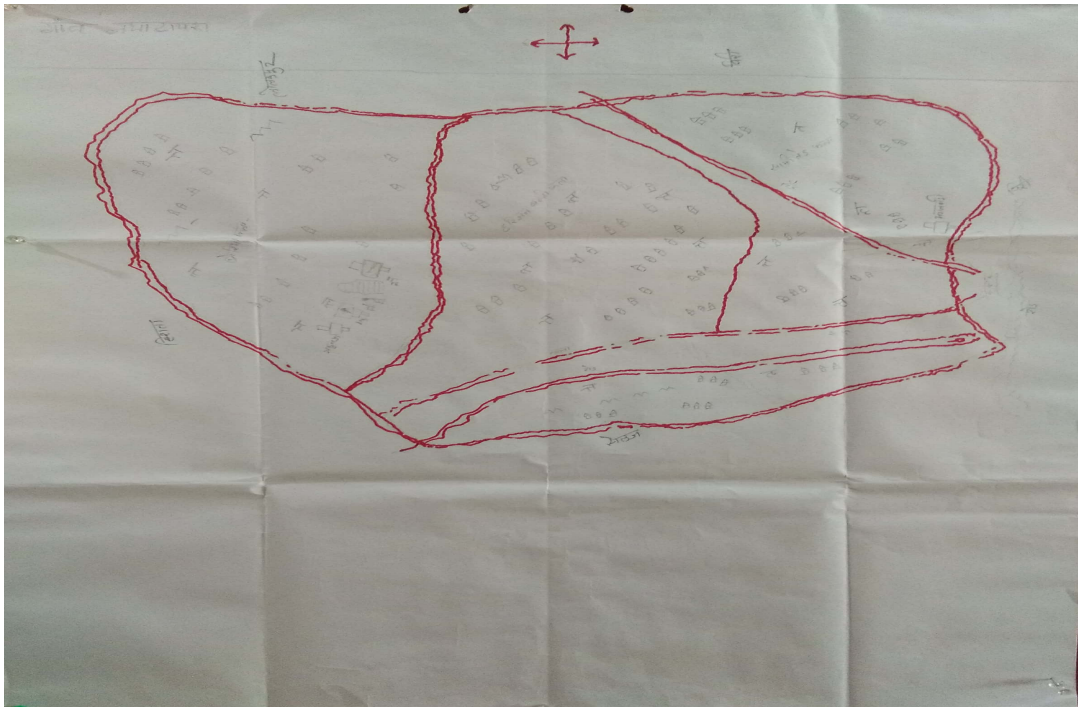

नजरिया नक्शा नवा टापरा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	पेंशन के संबंध में		
	वृद्धा पेंशन	2	2
	विधवा पेंशन	3	3
	पालनहार योजना	3	3
2	प्रधानमंत्री आवास निर्माण	40	40
3	शौचालय निर्माण /की बकाया किस्त भुगतान	17	17
4	विद्यालय के संबंध में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवा टापरा में 2 अध्यापकों की नियुक्ति छत मरम्मत कार्य(चार कमरों का) शौचालय का निर्माण और पेयजल की व्यवस्था तथा परकोटा निर्माण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा कक्ष की मरम्मत खेल का मैदान मय परकोटा शौचालय में पानी की व्यवस्था	1	--
5.	आंगनवाड़ी के संबंध में नवा टापरा तलैया फला में शिलालेख के पास नई आंगनवाड़ी भवन का निर्माण	1	--
6.	मां बाड़ी केंद्र के संबंध में नवा टापरा बीच वाली डूंगरी हांकरी के पास मां बाड़ी केंद्र का निर्माण करवाना (लक्ष्मण दीता रोत के घर के पास)	1	--
7	नवा टापरा राशन की दुकान हेतु भवन निर्माण करवाना नवा टापरा स्कूल के पास	1	--
8	सामुदायिक भवन के संबंध में हाँकरी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण सामुदायिक जमीन पर	1	--

9	रास्ता निर्माण के संबंध में 1. कावा घाटी से हूर जी घाटी में लक्ष्मण दीता रोत के घर तक सीसी सड़क निर्माण(200 मीटर) 2. भैरव जी के मंदिर से अमली घाटी तक सीसी सड़क निर्माण(150 मीटर) 3. निमडी वाला खाड़ा से देव राम जी की मगरी तक CC सड़क निर्माण (150 मीटर)	3	--
10	हैंडपंप मरम्मत/नए हैंडपंप	11	--
11 12	चेक डैम निर्माण के संबंध में		
	पक्के चेकडैम	14	14
	कच्चे चेकडैम	2	2
13	एनीकट निर्माण के संबंध में	**2**	2
14	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण खेत तलावडी निर्माण कुआ निर्माण/गहरीकरण/मरम्मत और मेडबंदी के संबंध में	40	40
15	वृक्षारोपण के संबंध में	11	11
16	श्मशान घाट के संबंध में		
	छाया का प्रबंध	1	--
	परकोटा निर्माण		
	घाट की व्यवस्था	1	--
17	गांव के आपसी विवाद को गांव सभा में निपटाने के संबंध में	1	--
18	सामाजिक कुरीतियों के संबंध में - डायन प्रथा पर रोक मौताणा प्रथा पर रोक बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक	1	गाँव के सभी परिवार

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी

सूचनार्थ

दिनांक ....

[सेवा] में
श्रीमान सरपंच व सचिव
ग्राम पंचायत सोलकपुर
महोदय ,
पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गावं सभा [illegible] के गावं विक[ास] के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनांक ....16/8/18.... को किया जायेगा जिसमे आप की उपस्तिथि अनिवार्य [है]
अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान .... समय .... दिनांक 16/8/18

एजेण्डा

1. खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में विचार।
2. खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
3. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
4. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
5. तालाब निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
6. नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
7. नए कुए के निर्माण और पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
9. पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
10. पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
11. पेंशन – वृद्धा , विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के सम्बन्ध में विचार।
12. अन्य ....

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाडी कार्यकर्त्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामजिक संस्था जो गावं में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत सोलकपुर
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

सचिव

अध्यक्ष ग्राम सभा समिति
नवाटापरा [illegible]
जिला [illegible]

गांव [illegible] समिति
नवाटापरा [illegible]
जिला [illegible]

नवा टापरा सूचना

पेसा कानून राजस्थान अधिनियम 1999 नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 16/8/2018 को शिलांलेख केपास नवाटपुरा गांव की गांव सभा की बैठक आयोजित की गई। गांव सभा में मौजुद गांववासियों ने लक्ष्मण दीता रोत को अध्यक्ष चुना। जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर-चर्चा की गई। और उनका अनुमोदन किया गया -

एजेण्डा :-

[1] पेंशन के सम्बंध में :-

(अ) वृद्धा पेंशन
(ब) विधवा पेंशन
(स) एकल नारी
(द) पालनहार
(य) विकलांग पेंशन

[2] पी. एम / सी. एम. आवास के सम्बंध में [नए आवेदन / किश्त बाकी भुगतान]
[3] शौचालय निर्मा। और भुगतान के सम्बंध में,
[4] विद्यालय में अध्यापको की नियुक्ति, कक्षा कक्ष का निर्माण, पेयजल और शौचालय के सम्बंध में,
[5] आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में,
[6] सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में,
[7] राशन की दुकान खोलने के सम्बन्ध में,
[8] स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में,
[9] रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में,
[10] हैण्डपम्प मरम्मत व नए हैण्डपम्प के सम्बन्ध में,
[11] चेकडेम निर्माण के सम्बन्ध में,
[12] एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में,
[13] खेत समतलीकरण, कुंआ गहरीकरण, कुंआ मरम्म पशुवाड़ा, मेड़बंदी, खेत तलावड़ी निर्माण के सम्बन्ध में,
[14] वृक्षारोपण के सम्बन्ध में,
[15] शमशान घाट के सम्बन्ध में,
[16] आपसी विवाद निपटारा के सम्बन्ध में,
[17] सामाजिक कुरितियों पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में,
[18] श्रमिक कार्ड बनवाने के सम्बन्ध में -

प्रस्ताव प्रथम पेज

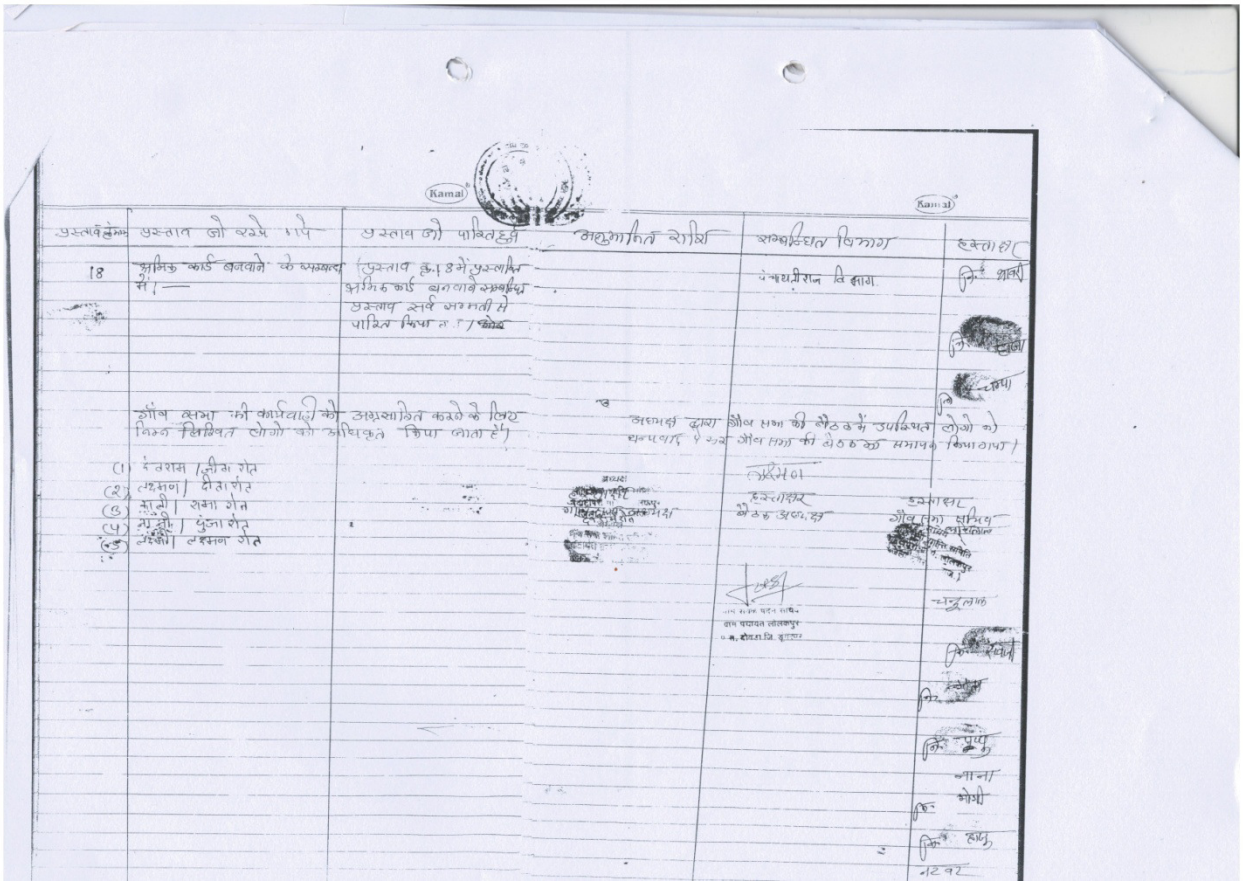

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम फोन न.

1. मुकेश कुमार रोत - 9636740876
2. काली देवी रोत - 9636493058
3. जीतेन्द्र रोत - 7043360773
4. लक्ष्मण रोत -
5. शारदा देवी रोत
6. देवा रोत -